बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २८ फरवरी, १९५६ को १० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

General Discussion on the Budget for 1956-57.

श्री देवकीनन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं कह रहा था कि सबसे पहले

हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर बोलना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इसलिए बोलना है कि बिहार में ज्यादातर रेवेन्यू से लोग संबंधित हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारनामों से आम लोगों को हमने फायदा पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है यह देखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेकर्ड ऑफ राइट का ठिकाना नहीं है। खतियान जो सर्वे के समय बना उसका सर्वे के समय से आज तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है। बंगाल और बिहार में जमींदारी प्रथा थी और इस प्रथा के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने भी इसका रिवीजन नहीं किया। जमीन हस्तांतरित कई बार सर्वे के बाद हो चुकी है जमीन का नक्शा बदल चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड रिफार्म्स के नाम पर क्या कर सकती है जब कोई सर्वे का रेकर्ड अप-टू-डेट नहीं है? इस बजट में बहुत हमने देखा कि रेकर्ड ऑफ राइट को ठीक करने के लिए कोई प्रावीजन होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रॉवीजन नहीं है। एक स्कीम बुझारत की है जो अनियंत्रित है। उसको देखने वाला या करने वाला सिर्फ एक ४०, ४५ रुपया पाने वाला आदमी है, वही उसका खुदसर मालिक है। कर्मचारी देहातों में जाकर बुझारत करता है और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जो भी व्यक्ति चाहता है कह देता है कि जमीन उसकी बटाई में है और बटाईदारी लिखवा लेता है। बटाईदारी बिल पेश होने के दो वर्ष पहले ही रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एलान कर दिया कि बटाईदारी के संबंध में वह कानून बनाने जा रहे हैं जिसका यह नतीजा हुआ कि गरीब लोग जो बटाईदारी में जमीन जोतते थे उनसे अपनी जमीन लोगों ने निकाल ली। लगभग ७५ प्रतिशत ऐसा हुआ है। और आज ऐसे लोग बटाईदारी लिखवा रहे हैं जो कभी भी बटाईदारी की जमीन नहीं जोतते थे सिर्फ इस बल पर कि मुकदमा से या लाठी के बल से जमीन दखल कर लेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जिस कौमन मैन के नाम पर जमींदारी ली गई उसको जमींदारी लेने के बाद कोई फायदा होते नहीं देखा जा रहा है। और मालूम ऐसा होता है कि बहुत सी जमींदारियों की जगह पर अब आप एक बहुत बड़े जमींदार हो गये। अब सभी जमींदारियां केंद्रित कर दी गई हैं। जिसका नतीजा बहुत सुन्दर होना था लेकिन उल्टे बड़ी ताकत के बल पर देहातों में बहुत भारी फसाद मचने वाला है। जिसको जमीन पर बटाईदारी का कोई हक नहीं है वह हक लिखवाता है और यदि इसकी बुझारत के बल पर अगर खतियान ठीक किया जाता है तो हम समझते हैं कि देहात में किसानों को फायदा होने के बदले नुकसान होगा, लोग आपस में लड़ कर बरबाद हो जायंगे और यह बहुत ही खराब बात होगी। इसलिए करना तो यह था कि सबसे पहले खतियान ठीक करना

Shri SIRISH CHANDRA BANERJEE : I shall comply with the requirements of rule 206 tomorrow.

अध्यक्ष—आपने जो समय सभा का बरबाद किया है उसके लिए आप रिपेंट करते हैं।

Shri SIRISH CHANDRA BANERJEE : As I have done it in good faith there is no reason to repent.

स्थगन प्रस्ताव।

Adjournment Motion.

श्री शक्ति कुमार—कल हमने एक ऐडजौर्नमेंट मोशन दिया था, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष—निर्णय तो हो गया। चूंकि यह कचहरी में विचाराधीन है इसलिए यह नामंजूर हुआ। सरकार ने कहा है कि इस विषय पर मुकदमा चल रहा है।

१९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

General discussion on the Budget for 1956-57.

Shri JAGANNATH SINGH : The Budget of 1956-57 is a landmark in the history of this State as it is for the first time that the State is planning to spend 96 crores of rupees in our Budget. Sir, there is a deficit of rupees twenty-nine crores in our budget, in the whole of Indian Union our budget is the highest in point of expenditure.

(*Voice : No.*)

My friend says 'no'. I will quote the figure in the budget that has been presented in Bombay, Madras, U.P. in defence of what I have stated. I have got the figures of revenue expenditure for the next financial year.

Shri TRIBENI KUMAR : What about West Bengal ?

Shri JAGANNATH SINGH : I will quote the figures of West Bengal as well.

West Bengal revenue is 49.36 crores, expenditure 63.65 crores and deficit 14.odd crores.

U. P. revenue is 85 crores, expenditure 90 crores and deficit 5 crores. Bombay is the only State in the Indian Union which shows a surplus of 23 lacs.Lastly, in Madras revenue is 60 crores and expenditure 63 crores with a deficit of 311 lacs. Thus we see that we are planning to spend on such a big scale.

Shri TRIBENI KUMAR: Sir, he means to say that Bihar is going to spend the largest amount. It is not a fact.

That is only revenue budget and Bihar's revenue is 32 crores.

Shri JAGANNATH SINGH: If you consider the figure to be wrong you are at liberty to point it out when you get your chance.

Shri RAMCHARITRA SINGH: If such interruptions will go on, the debate will not progress. If the figures are wrong the hon'ble member is at liberty to point out when he gets, his chance.

SPEAKER: When the hon'ble member gets his chance he will be entitled to get up and say that the figures are wrong. And if he so desires, he can prove his statement by means of documents also. The hon'ble member who is speaking, may not be interrupted.

Shri JAGANNATH SINGH: Sir, our revenue deficit is 29 crores. It is nothing alarming because as matter stands we are going to have deficit for financing our economy in the Five-Year Plan. You know, Sir, deficit financing is a necessity in the planning age. Our friends who are critical of deficit financing ought to realise that the deficit financing is the main means of organising and financing our economy. Finance is not a static pool but it is an active and dynamic tool. It is not an end in itself but a means for our speedy economic development. But there should be proper institutional and organisational and other safeguards. In the planning age Government cannot depend upon loans. Government has to find out measures of taxation. Government has to find out money for these development activities. So Sir, I am not one of those who feel that taxation is not needed. You must find out money if you are to create a new social order. Sir, there has been the report of the Taxation Enquiry Commission. I am in agreement with the recommendation of the Taxation Enquiry Commission. Government ought to tax the various resources. For every one rupee tax we are going to get three rupees as grant at the hands of the Central Government. Sir, I differ in one point. The Taxation Enquiry Committee has said at pages 96-97 that there is ample scope for indirect taxation in this State.

SPEAKER: In the Union, or in this State of Bihar?

Shri JAGANNATH SINGH: I mean in this State. The Committee thinks the taxation in India can be driven considerably further than at present without detriment either politically or economically. This theory of Taxation Enquiry Commission, however well-supported by documentary theory, will not be capable of practical implementation. We know that the number of income-tax assessees in India is only 9 lacs. Less than half per cent of the people pay direct income-tax in this State. When the number of assessees is so meagre, when our standard of living is so low I do not find there is any scope of taxation as the Taxation Enquiry

Commission thinks. In this country direct tax or revenue is only 7 per cent of the national income and we know that all progressive countries of the world depend upon direct taxation as the main source of revenue. In the United Kingdom the direct tax accounts for 56 per cent of the total revenue and in the United States of America direct taxation accounts for 54 per cent of their total revenue.

Sir, in India the direct taxes account for only 36 per cent of the total receipts. So, there is necessity for imposing direct taxes. This is more necessary for the fact that the burden of indirect taxes naturally falls more on the shoulders of the poor people who are unable to pay. I would suggest that there is need for taxation and scope for taxation from those who are rich and wealthy and who can afford to pay more taxes, but unfortunately Government have spared these people.

I should now like to say a few words regarding the imposition of the multi-point sales tax. I know that the load of this taxation will fall merely on the small shopkeepers, who are distributed in the 67,000 villages of Bihar. These poor shopkeepers will have to maintain intricate accounts and will in consequence fall prey to the malpractices of the officers of that Department. I should like to refer you to the report of the Taxation Enquiry Commission on the question of the levy of multi-point tax in preference to single-point tax. I should like to read a few words before you, Sir, to show what they have said about it.

> "The Bombay Sales Tax Enquiry Committee which had considered the suggestion had come to the conclusion that there would not be much relief under it either to the dealers or to the Sales Tax Department. It had also certain disadvantages as compared with a single-point sales tax."

This is the opinion of the Bombay Taxation Enquiry Commission. I, therefore, oppose the proposal to introduce multi-point sales tax.

As regards the levy of one anna cess on land revenue, I may state that this also is unwise. On the one hand Government tell us that they are going to give us free primary education and on the other they are going to levy this tax for financing the primary education. The anticipated gain is one crore.

Then a question may be posed, how to get additional income? My first suggestion is that Government should exert every nerve to effect economy in the Departments. There is much scope of effecting economy without loss of efficiency, for there are too many leakages, no doubt. If Government are able to effect economy in administration together with efficiency they will be justified in approaching the people for additional taxation, but there must first be austerity measures and there must first be the force of emergency so that all

of us may feel that all avenues of economies have actually been tapped. Secondly, I would suggest the imposition of betterment levy. After all Government are spending crores of rupees over irrigational schemes and the people who are benefited by such schemes should not demur to pay a small tax for the State has the right to claim some portion of the added income, and I suggest that Government ought to tap this source.

Thirdly, I would suggest an annual tax on wealth. I think the Finance Minister must have read the Report of the Taxation Enquiry Commission wherein a recommendation in this regard has been made. I think there should be a ceiling on personal income which should not exceed 30 times the prevailing average per family income, but here while 161 persons have an income of over Rs. 5 lakhs per year, many persons are in grinding poverty. The unequalities in wealth is very glaring. This has to be scaled down.

Fourthly, I would suggest the imposition of a purchase tax. Under this tax the people will be taxed not on the income but on the amount they spend over purchases.

These are my suggestions for additional taxation which may be tried at their work.

My esteemed friend, Shri Karpoori Thakur, pointed rightly that amongst the 76 nations of the United Nations the position of India is 76th in respect of *per capita* consumption and so he wondered how he can assume that India is making progress. I was no doubt amazed to hear his argument. As a matter of fact our country is a new-born babe and cannot be compared to those mighty giants. But on the other hand there are certain tangible tests to judge our real position. Yes our position is 76th in the matter of *per capita* consumption, but what is our *per capita* income. I give below the *per capita* income of the following countries :—

		Rs.
America	.. ..	9,000
Canada	.. ..	6,000
Australia	.. ..	4,600
United Kingdom	..	3,500
France	.. ..	3,000
Japan	.. ..	800
India	.. ..	284

So, while comparing the figures of consumption he ought to have at the back of his mind the economic wealth of the country and then only he could come to a correct assessment of the position. Another way of testing the progress is that there has been 15 per

cent increase in our national income. We also know that there has been 28 per cent increase in industrial production. Our *per capita* income has also increased 18 per cent. All these points have to be taken into consideration in arriving at a conclusion whether the country is progressing forward or going backward economically.

Now, Sir, a few words about the working of some of the Departments of Government. You know that much of our expenditure is due to the inefficiency and faulty working of the Departments. In the matter of general administration the district administration stands paralysed. I find that too much reliance is being placed on District Officer. He has been made the head of all Committees—Irrigation, Development, Welfare, Planning and others—and made head of all departments working in the district, with the result that he is jack of all trades but master of none. This practice of attaching too much reliance on the District Officer must be put a stop to otherwise there is bound to be deterioration in the standard of administration. The District Officer is at present working like a rubber-stamp putting his signature on all the schemes envisaged by the different departments. The crying need is the overhauling of the district administration.

This is the wrong policy adopted by the Minister. They cannot afford time; they are too busy with routine work with the result that the officers have their own way. I think the Ministers should be more vigilant and should devote more time so that administrators who do good work might get appreciation and those who are shirkers get condemnation. Most junior officers are posted as Subdivisional Officers. Raw graduates from colleges with no experience and knowledge of things are put in charge of subdivisions with the result that bungling and inefficiency are galore. I had been to the Punjab and talked with some of the high officials of the Punjab Government. At that time Sardar Pratap Singh Kairon was Development Minister. They have a flying squad consisting of 4 tried Revenue Officers and 9 public men. That flying squad is limited to checking corruption in the Revenue Department, particularly in the consolidation of holding work; and I was gratified to learn that together with the officers a non-official also works.—one non-official and four officials from the flying squad. On receiving a report of corruption they run to the spot, make on-the-spot enquiry and then submit their report to Government with the explanation of the officer concerned. I was informed that in that department alone more than 700 officers had been sacked. So, Sir, I would suggest that there is need of a flying squad here also so that corrupt officers might be punished; otherwise all corruption committees would be of very little use. The Government should not fight shy of having at least one non-official of proved integrity on such a squad. Can they not

find even one non-official in this State with a population of 4 crores? Unless these things are done corruption would not go.

Then I would suggest that there is need for planning in personnel. In Bihar we will have to lay greater emphasis on the trading activities of the State. You know efficiency is required to run our transport, electrification and irrigation departments. They are at present all running at a loss. Why your milk union business of the Co-operative Department is an example of bungling? Your agricultural farms are running at a loss. The officers say that experiments are being made so there is loss. We know it is not that. It is because of inefficiency that they cannot manage things properly. I, therefore, plead with all the emphasis at my command that there is need for personnel planning, and for this the suggestion of Mr. Panniker should be accepted. I have not the time to quote his speech; but as Dr. Panniker said the term "security of service" was invented by civil servants to hide the inefficient ways of inefficient officers, and this should be given a go-by. There must be for economic services as also the industrial services, other criterion for recruitment and other service conditions. Unless this is done, your administration would not improve.

When I was at Delhi people complained to me bitterly of bungling of Bihar Government due to inefficiency. Due to this inefficiency many good things are not done or are done after long delay. One example of this is the Mokamah bridge. It took years to decide where the bridge was to be constructed, at Mokamah or at Patna. The U. P. Government has utilised Karmanasa for irrigating thousands of acres of barren land, but the Bihar Government has done nothing of the kind for irrigating the bordering lands in Bhabua Subdivision of Shahabad district.

Then, Sir, I do not find anything about the rail-road bridge which had been proposed to be constructed in the First Five-Year Plan across the Sone river at Dehri-on-Sone. Such a bridge is of vital importance for economic development of the area.

There is surplus and saving under civil works, irrigation and education departments. This means that money voted by this House is not spent. Why? Either your experts are at fault or your machinery is at fault or you yourself might be at fault. There must be some flaw somewhere. Unless you remove it, you cannot hope for progress. In the Irrigation Department I am sorry to know that several schemes which were so important for Bhabua and Sasaram Subdivisions could not find a place in the budget. May I hope that Government will see its way to include these schemes and other equally good schemes for other parts of the State, instead of surrendering sums at the close of the financial year?

About the Police Department the less said the better. It is one of the most corrupt departments with partiality on the part of its officers. I have brought this to the notice of the Inspector-General of Police and also the Chief Minister with what result I need not say here.

I would say that unless the Ministers rise equal to the need of the hour, it is no use making speeches and suggestions. I therefore feel, Sir, that the Ministers ought to be more alive to the realities of the situation and they ought to make more effort, consistent and determined, to root out corruption and inefficiency to make for peace and progress. Sir, you know that unemployment is Problem no. 1 before the country. You know that although your figure of production has increased by 28 per cent that of employment has risen only by 4 per cent. We know that thousands of graduates and matriculates are produced every year by schools and Universities. The peace and tranquillity obtaining in the realm to-day may not last long unless ways and means are found to absorb these young-men in peaceful avocations. Ways and means will have to be devised for making an improvement in the unemployment situation.

You know, Sir, that there are Employment Exchanges functioning in the State but they do not get co-operation from private sectors. There are big factories at Jamshedpur and in Manbhum and they all lie in Chotanagpur but they do not report vacancies to the Employment Exchanges with the result that people do not get any employment in those factories. Sir, unless there is necessary legislation so that these employers can be compelled to give their information to the Employment Exchanges and to recruit the people of the soil I think the employment problem may not be solved. Basically you know that employment problem is the problem of development, so unless you develop cottage industries and small industries and unless there is utilisation of electric power and new industries and factories are established this problem of unemployment will not be solved. Sir, I am so grateful to you for having given me so much time in expressing my feeling on the budget and in the end I would like to say that our objective is the attainment of socialistic pattern of society. The benefits of development must accrue more and more to the have-nots. There should be progressive reduction of inequalities. Then must trail a new path for the establishment of a new social order. The Government must be fired with new enthusiasm and justify the confidence reposed in them of the people. With these few words, I resume my seat.

श्री महाबीर राउत—अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट को पढ़ा है और गौर से पढ़ा है। इसमें एक आना रुपये सेस बढ़ाने की बात है और वह किसानों के ऊपर बढ़ाने की बात है। इसमें मैं सहमत हूं कि सरकार को विकास कार्यों को करने के लिए

रुपये की आवश्यकता है लेकिन इसके लिए गरीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। उत्तर बिहार में बाढ़ से और दक्षिण बिहार के सूखा से लोग परेशान हैं, ऐसी हालत में गरीब किसानों पर एक आना टैक्स लगाना उचित नहीं है। बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, या दूसरे धनी आदमी हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। यह किसानों पर टैक्स लगाते हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर सरकार को रुपये की जरूरत है तो दूसरे लोगों पर टैक्स लगाकर उसको पूरा करे।

हमारे प्रांत में बेकारी का सवाल बहुत है। इसके लिए सरकार को सतर्क होना चाहिए और बेकारी को दूर करने के लिये कोशिश करनी चाहिए। आज आप देखें कि पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं, खेतिहर लोग बेकार हैं, मजदूर बेकार हैं, इस-लिए सरकार को चाहिए कि इन्डस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अग्रसर हो ताकि लोगों को काम धंधा मिल सके और बेकारी दूर हो सके।

अब मैं उत्पादन बढ़ाने के बारे में कहना चाहता हूं। आपने जगह-जगह एलेक्ट्रिक पावर हाउस खोला है और उसके जरिये बिजली देने का, पानी देने का इन्तजाम भी किया है लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। लोगों को न तो पानी मिल रहा है खेत पटाने के लिए और न बिजली ही मिल रही है। समस्तीपुर में पावर हाउस तो है लेकिन हमारे रोसड़ा थाने में उसके जरिये बिजली और पानी देने की जो बात है वह पूरी नहीं हो रही है। देहात के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए क्योंकि देहात तक लाईन गयी है और बिजली नहीं मिल रही है। रोसड़ा थाने के देवधा, हसनपुर, मब्बी, बड़गांव आदि गांवों में सेन्टर है लेकिन न तो पानी ही दिया जाता है और न बिजली ही है—शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं मद्यनिषेध के बारे में कहना चाहता हूं। सदन में मैंने बराबर कहा है कि लोगों ने कितना त्याग किया, जेल गये, पिकेटिंग किया, ताड़ पर से गिर कर मर गये, लेकिन आपने मद्यनिषेध इस राज्य में नहीं किया। यह ठीक है कि इससे कुछ रुपये मिल जाते हैं और आप उसको शिक्षा में खर्च करते हैं लेकिन इसका नतीजा यही हो रहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह पूरा नहीं होता है। क्योंकि बुरे काम से आये हुए पैसे का फल भी बुरा ही होता है। इस-लिए मैं सरकार से कहता हूं कि वह मद्यनिषेध इस प्रांत से बन्द कर दे।

लैंड पॉलिसी के बारे में मुझे यह कहना है कि आप ३० एकड़ जमीन की अधिक-तम सीमा जो निर्द्धारित कर रहे हैं वह कीजिए लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि उस जमीन में बटाईदारी हक नहीं आने दीजिए।

मेडिकल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मेडिकल मिनिस्टर ने कहा है कि ४० अस्पताल खुलने जा रहे हैं। और वेटेरिनरी मिनिस्टर ने कहा है कि ७६ अस्पताल खुलने जा रहे हैं। यह ठीक है कि मवेशियों के लिए अस्पताल होना चाहिए लेकिन आदमियों के लिए जो अस्पताल है वह बहुत कम हैं। मेडिसिन सेन्टर के डाक्टर का वेतन ४५० रु० है और कम्पाउन्डर का ७५ रु० है और नौकर का ३५ रु० है लेकिन दवाइयों का बिलकुल अभाव है अतः उसे बढ़ाया जाय, मेडिसिन वितरण सेन्टर को नहीं तोड़ा जाय। रोसड़ा थाने में अस्पताल नहीं है और २, ३२ हजार की आबादी है। इसलिए वहां अस्पताल की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोसड़ा थाना के भीड़हा मैंगलगढ़ या देवधा, बल्लीपुर या शिवाजी नगर, हशनपुर रोड, लक्ष्मीनिया या दसौंत गांवों में अस्पताल अवश्य दिया जाय। अतः इस थाने में पांच अस्पताल की बड़ी आवश्यकता है।

अब मैं इरिगेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि एक करेह नदी है जिसको हमलोग बागमती भी कहते हैं, कागज में इसे बागमती ही माना गया है।

मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सिंचाई मंत्री करेह नदी में बांध बंधवाने की कोशिश शीघ्र करें। हमारे मेडिकल मिनिस्टर जानते हैं कि वहां के लोगों को इसके कारण कितनी तकलीफ है और कितनी बरबादी हो रही है। अगर करेह नदी में बांध नहीं बंधवाई गयी तो पूरा थाना बरबाद हो जायगा। लोग क्षुब्ध होकर तिथि ४ मार्च १९५६ को करेह बाढ़ पीड़ितों का एक बड़ा सम्मेलन वहेड़ी में करने जा रहे हैं—जिसमें चिकित्सा मंत्री एवं अर्थ मंत्री को जाने की व्यवस्था है।

इसके अलावा रोसड़ा थाना में एन० ई० एस० ब्लॉक भी नहीं है इसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके बाद मैं एल० एस०-जी० मिनिस्टर को ध्यान दिलाऊंगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में उन्होंने घोषित किया था कि बैलौट पेपर के द्वारा चुनाव होगा लेकिन अभी कुछ दिन हुए कि उन्होंने फिर यह कहा है कि पुराने ढंग से चुनाव होगा। सारे प्रांत के लोगों को यह खुशी हुई थी कि बैलौट पेपर द्वारा चुनाव होगा लेकिन फिर पुराना ढंग चालू हो रहा है जिससे लोगों को संतोष नहीं है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पुराने नियम को स्थगित कर दें। एक-एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में १२ वर्ष, १६ वर्ष से चुनाव नहीं हुआ है। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव दो महीने के लिए रोक दिया जाय और बैलौट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिए ग्राम पंचायत के एलेक्शन को अभी रोक दिया जाय।

अब मैं अपने थाने में ऊख की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तीन साल से हमारा इलाका बाढ़ से जलमग्न था। हमारा कैश क्रौप ऊख है लेकिन इसके लिये भी हमलोगों को पूंजी नहीं मिल रही है। हमारे मिनिस्टर साहब ने हसनपुर मिल के बारे में उस दिन चर्चा की थी और कहा था कि १५ दिन पहले से मिल चलायी जाती तो सब ऊख की खपत हो जाती। आप जानते हैं कि तीन साल से लोग कर्ज लेते-लेते तबाह हो गये हैं। इसलिए सरकार को इसके तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे लोगों का ऊख शीघ्र कट जाय।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि वारिसनगर में बांध की सख्त जरूरत है। वहां चारो तरफ पानी बाढ़ के वक्त फैल जाता है। खुद मैं भी जब समस्तीपुर में सोया था तो मेरी बिछावन तक पानी आ गया। २५ दिसम्बर १९५४ को मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारिगण मौजूद थे। उन्होंने समस्तीपुर में बांध बांधने की आवश्यकता बतलायी थी, तमाम जिला एवं सबडिवीजनल अफसरों को चिट्ठी भी दी गई थी कि तुम्हारे यहां क्या-क्या जरूरत है इसकी मांग करो। हमारे श्री बी० डी० पान्डेय इसके इन्चार्ज थे। लेकिन हमारा समूचा रोसड़ा, समस्तीपुर और वारिसनगर थाना पानी से भर गया क्योंकि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं रही। इसकी ओर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। इस साल बाढ़ में सरकार की मदद बहुत असंतोषजनक रही। गत साल लोगों को कुछ कर्ज मिला लेकिन इस साल इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया और घर बनाने के लिए भी रुपया अभी तक नहीं बांटा गया। इसलिए इसकी ओर सरकार को जल्द ध्यान देना चाहिए और रुपया शीघ्र बंटवा देना चाहिये।

इसके बाद मैं एडुकेशन की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसका काम प्रशंसनीय रहा है और इसमें रुपये भी लगाये जा रहे हैं। और कहा गया है कि जो स्कूल रिकोग्नाइज्ड हैं उनको भी मदद दी जायगी। इस सम्बन्ध में मैं आग्रह

महावीर राउत

करूंगा कि कुछ विशेष रुपया रखें और स्कूलों को मदद करने की व्यवस्था करें। हमारे यहां के प्रस्तावित सखवा हाई स्कूल के बारे में दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी लिखा था कि इसको मदद मिलनी चाहिए। यह स्कूल बैकवर्ड एरिया में है और यह बाढ़ क्षेत्र में है। इसलिए इसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जनता विकास योजना की मदद से सखवा हाई स्कूल का मकान बहुत सुन्दर सात कोठरी का पक्का बना रही है। जिलाधीश भी ता० १० फरवरी १९५६ को इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे।

इसके बाद में पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि बेगूसराय से रोसड़ा तक जो सड़क गयी है उसमें कुछ काम हुआ है। उसे पूरा करना चाहिए। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है जो रोसड़ा से हथौड़ी होते हुए लहेरियासराय को मिलाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है और रोसड़ा टाउन भी इम्पोर्टेंट शहर है इसलिए इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति इस सड़क से गये हैं और उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करके दूसरी पंचवर्षीय योजना में ले लें। यह सड़क १० नवम्बर से दरभंगा जिले में प्रसिद्ध है। यह दरभंगा और मुंगेर जिला को मिलाती है। इसके अलावे लहेरियासराय से रोसड़ा आने के लिये सब से नजदीक रास्ता है। बांध बंध जाने से बाढ़ का भय नहीं है। इसके अलावे रोसड़ा तथा चेरिया बरियारपुर थाने को भी मिलाती है। शासन के ख्याल से इसे अवश्य बनाना चाहिये।

इसके बाद में मवेशी अस्पताल के बारे में कुछ कहूंगा कि इसकी भी हमारे यहां बहुत आवश्यकता है। वहां बहुत बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत से मवेशी मर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोसड़ा थाना के गजपति गांव में एक मकान बेकार पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मकान दे दे और उसमें मवेशी अस्पताल खोला जाय तो बहुत अच्छा होगा। डाइरेक्टर से हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मकान दीजिए और सड़क अच्छी हो तो काम चल सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिथान, गजपति और हसनपुर रोड में से किसी एक जगह में अस्पताल सरकार को खोलना बहुत जरूरी है।

अब मैं रजिस्ट्री औफिस के एक्सट्रा क्लर्क के बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि उन्हें परमानेंट जगह में ले लेना चाहिये। इसके सम्बन्ध में सन् १९५० का सर्कुलर है, जो मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"Though employment is not granted to extra clerks, all those who are included in the list of extra-clerks will have to attend the registration office regularly on all the working days. They may leave the office only after ascertaining that no work is available on any particular day. When the extra clerks wish to absent themselves from office they must obtain the previous permission of the Sub-Registrar in writing. If they absent themselves from office without permission and if they do so on three or four occasions continuously, their names will be liable to be removed from the approved list."

हुजूर, अब आप ही बतावें कि एक्सट्रा क्लर्क को परमानेंट कैडर में ले लेना चाहिये या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि एक मुर्गी दो जगह जिबह नहीं होती है लेकिन हमारे राज्य में होती है, कैसे यह मैं बता देता हूं कि बैलगाड़ी पर म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों टैक्स लेती है। अपने-अपने क्षेत्र का अलग टैक्स ले और एक दूसरे के टिकट की मान्यता दे नहीं तो जनता को बहुत तकलीफ होगी। सरकार शीघ्र कानून में संशोधन करे।

(अंतराल)

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों की बहस के दौरान में जितनी बातें कही गई हैं उन सभी बातों का जवाब देना तो किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिये मैं कुछ बातों का जवाब दे सकूंगा और कुछ का नहीं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन बातों का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं, समय का अभाव है इसलिये मैं खास बातों की ओर ही सदन का ध्यान ले जाऊंगा।

हुजूर, श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने एक कर्मचारी श्री विन्देश्वरी सिंह के केस का हवाला इस हाउस में दिया है। उस समय मुझे खुशी हुई थी जब वे श्री विन्देश्वरी सिंह का नाम ले रहे थे। मेरा ख्याल है कि श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने इस सम्बन्ध में ईश्वरीय गुण का प्रदर्शन किया है। आप जानते हैं गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है—

सम्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघ नासों तबहि।

जो आदमी उनके नजदीक गया और बात किया तो उनकी रक्षा उन्होंने की। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्री विन्देश्वरी सिंह के केस को डील करने में मेरी कठिनाई है। उन्होंने श्री विन्देश्वरी सिंह की प्रशंसा की और सर्किल अफसर ने जो लिखा था उसका उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन जिस कार्य के कारण श्री विन्देश्वरी सिंह की सर्विसेज गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया, इसका विवरण मैं दूं तो वाजिब नहीं होगा क्योंकि वे यहां मौजूद नहीं हैं और किसी के सम्बन्ध में एकतरफा शिकायत हाउस में की जाय वह उचित नहीं होगा। मैं श्री हरिहर प्रसाद सिंह से यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो कागजात हैं उनको वे देखें और वे खद कह दें कि यह श्री विन्देश्वरी सिंह का लिखा हुआ नहीं है तो मैं इस केस को रीकन्सीडर करने के लिए तैयार हूं। हमारे पास दो कागज हैं जिसमें पहले कागज में लाट कंपनी का जिक्र किया गया था। उनके दूसरा लिखा हुआ कागज मेरे पास मौजूद है जो १० अप्रील १९५१ का है। श्री विन्देश्वरी सिंह पहले एक स्कूल में काम करते थे और वे जब वहां काम करते थे वहां के रजिस्टर में दस्तखत किया करते थे। श्री हरिहर प्रसाद सिंह खुद आकर मौका पाकर इसे देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि श्री विन्देश्वरी सिंह एक टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। जो स्थायी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके सम्बन्ध में बहुत से कायदे-कानून हैं। अगर कोई सरकारी नौकर कसूरवार पाया जाता है तो सरकार की ओर से उससे पूछा जाता है कि तुमको यह सजा दी जाय या नहीं फिर कैफियत आ जाती है तो तरीका यह रहता है कि एक वकील के जरिये वह अपने केस की पैरवी करा सकता है और उसी के अनुसार कारवाई होती है लेकिन टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में तो सिर्फ एक महीने की नोटिस देकर सर्विस टरमिनेट किया जाता है, इस केस में भी इसी तरह टरमिनेट किया गया है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की जानकारी किसी कर्मचारी के विषय में कि वह गवर्नमेंट सर्विसेज के लिये अभिशाप हो सकता है, सरकार को कब हुई। जिस पत्र की चर्चा माननीय मंत्री ने की वह १९५१ का है तो उस पर अब तक क्यों नहीं चार्ज लाया गया, सीधे चार्ज क्यों नहीं किया गया।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—चार्ज लाया गया है और इसके सम्बन्ध में जो कागज हैं उसको आपको दिखाने को तैयार हूं। मेरे पास जो प्रमाण हैं उनको आप देख सकते हैं। आपका कहना है कि यह बात मालूम थी या नहीं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं भी मालूम हो लेकिन पीछे मालूम हुआ कि ऐसे आदमी को सरकारी नौकरी में रखना ठीक नहीं है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—किसने कहा और कैसे मालूम हुआ ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सदन के एक माननीय सदस्य ने इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री इगनेश कुजूर—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय मंत्री सिर्फ एक ही सदस्य श्री हरिहर प्रसाद सिंह को कह रहे हैं कि वे कागजों को देख सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को इसे देखने का हक है या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अगर आपकी इच्छा है तो आप भी देख सकते हैं। मैं आपको भी नेवता देता हूं। मेरी दिक्कत है कि मैं उस कागज को नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि वे यहां मौजूद नहीं हैं और किसी व्यक्ति के बारे में निन्दनीय बातें कहना मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त श्री शिवभजन सिंह ने कहा कि आप कलपा महाल में जो बेनिफिशियरीज से रुपया वसूल कर रहे हैं वह उन किसानों से वसूल कर रहे हैं जिन्होंने फर्द आबपाशी के अनुसार रुपया नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की जांच कराई है। मेरे पास उन सबों की सूची है जिनके पास नोटिस दी गई है और वे संख्या में ३१ हैं। जितने लोगों को नोटिस दी गई है वे एक्स-लैंडलोर्ड्स हैं जिनकी जमींदारी ले ली गई है और जिनसे इसके अनुसार बेनिफिशियरी कौस्ट वसूल करते थे। हुजूर, पोजीशन यह है कि जब तक जमींदारी नहीं ली गई थी तब तक कोई माइनर इरिगेशन का काम हुआ तो हम जमींदारों से रुपया वसूल करते थे क्योंकि फर्द आबपाशी के अनुसार यही तरीका था और किसानों से रुपया वसूल नहीं किया जाता था।

हर स्कीम का आधा खर्च सरकार देती है और दूसरा आधा खर्च वह जिनको स्कीम से फायदा होता है उनसे वसूल करती है। अगर फर्द आबपाशी के खतियान में यह लिखा हुआ रहता है कि आबपाशी का इंतजाम करना जमींदार का काम है तो बकिये आधा खर्च भी सरकार दे देती है। अगर इसके विपरीत कहीं पर कुछ काम हुआ तो उसका उदाहरण मेरे सामने पेश कीजिये और मैं उसकी जांच कराऊंगा।

इसके बाद हमारे दोस्त श्री जुनस सुरीन ने कहा है कि डी० एफ० ओ० से उन्होंने एक मामले की जांच करने के लिये कहा लेकिन वे जांच करने के लिये नहीं गये। मैंने इस बात की जांच रांची के डी० एफ० ओ० से की थी। उनका कहना है कि निश्चित तिथि को जांच हुई थी लेकिन चूंकि श्री जुनस सुरीन को असेम्बली की बैठक में शामिल होना था इसलिये वे उस दिन वहां पर मौजूद नहीं थे और एक दूसरे आदमी को लिखकर यह अधिकार दे गये थे कि जांच के समय वे मौजूद रहें। मैंने इस बात को इसलिये कहा चूंकि लोगों के दिल में यह इम्प्रेशन हो गया है कि लोकल अफसर एम० एल० ए० लोगों के साथ जो इनगेजमेंट करते हैं उसकी वे लोग परवाह नहीं करते हैं।

श्री शिवभजन सिंह—मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों पर नोटिस हो गयी है अगर उसकी जानकारी उनको हो जाय तो क्या उनसे वसूली को माफ कर देंगे ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अगर फर्द आबपाशी के खतियान में यह लिखा हुआ होगा कि जमींदार आबपाशी के काम को मेनटेन करेगा तो जिन किसानों पर नोटिस दी गयी है उनको मैं माफ कर दूंगा।

इसके बाद हमारे साथी चन्द्रमणी लाल चौधरी ने मुजफ्फरपुर की ताड़ी की दूकान के बारे में कहा है। इसके बारे में यहां पर सवाल भी पूछा गया था। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों की तरफ से तथा दूकानदारों की तरफ से दोनों ओर से मुकदमा हुआ था। डिपार्टमेंट के अफसर के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें उनकी रिहाई हुई थी लेकिन दूकानदारों के कुछ आदमियों को सजा हो गयी थी। फिर भी सरकार ने वहां के अफसरों को बदल देना ही अच्छा समझा और उनकी बदली हो गयी है। इस मामले में सरकार अब कुछ ज्यादा करना नहीं चाहती है।

इसके बाद हमारे श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी ने यह कहा है कि पुरुलिया में गेरू मांझी की मृत्यु अन्नाभाव से हो गयी थी। इसकी रिपोर्ट वे भारत सरकार के यहां भी भेजे थे और वहां से हमलोगों से इस के बारे में पूछा भी गया था। जांच करने पर मालूम हुआ कि गेरू मांझी को टी० बी० हो गयी थी और उसी बीमारी से वे मरे हैं। पुरुलिया के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हुआ है। उनका यह कहना है कि चूंकि पुरुलिया बंगाल में जाना चाहता है इसलिये जन-सेवा के काम में ढिलाई हो रही है। १९५५-५६ के बजट से मैं यह दिखला देना चाहता हूं कि वहां पर क्या-क्या काम हुआ है :

ग्रेच्युइटश रिलीफ—५७,००० रुपये।

लाइट मैनुअल लेबर—११,००० रुपये।

हार्ड मैनुअल लेबर—७,१०,००० रुपये।

एग्रिकल्चरल लोन—१२,२५,००० रुपये।

ऊपर के आंकड़े से यह मालूम हो जायगा कि जन-सेवा के कार्य में किसी तरह की ढिलाई सरकार की ओर से नहीं हुई है और इसलिये इस तरह का चार्ज सरकार के खिलाफ लाना वाजिब नहीं है।

इसके बाद श्री राम अयोध्या प्रसाद का यह चार्ज है कि चम्पारण में रिलीफ का काम कम हुआ है। वहां पर का जो आंकड़ा है उसको भी मैं आपलोगों के सामने पेश कर देना चाहता हूं :

ग्रेच्युइटश रिलीफ—२० लाख ३० हजार रुपये।

लाइट लेबर—७ हजार रुपये।

हार्ड मैनुअल लेबर—७ लाख ५० हजार रुपये।

एग्रिकल्चरल लोन—३७ लाख २० हजार रुपये।

अगर चम्पारण में ३० थाना हो तो हरएक थाने पर १ लाख से अधिक रुपया केवल कर्ज के ही रूप में दिया गया है। मैं आपलोगों से यह निवेदन करूंगा कि जितनी मुस्तैदी से आप रुपया उनको दिलाते हैं उसी मुस्तैदी से आप लोग वसूल कराने में हमारी मदद करें तब अच्छा होता। वसूली में बड़ी दिक्कत हो रही है।

इसके बाद पोलिटिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने कहा है और कहा है कि कांग्रेस संगठन पर एक बहुत बड़ी लांछना लगायी गयी है। एक कांग्रेस के प्रधान व्यक्ति का भी जिक्र किया गया लेकिन तौभी सरकार की ओर से कोई कारंवाई नहीं हुई है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—सरकार की ओर से इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कारंवाई में वह भी आ जाता है। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है इसलिये मैं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कांग्रेस के प्रधान व्यक्ति का नाम लिया गया है इसलिये यह मैं कहूंगा कि उस प्रधान व्यक्ति ने यहां के कांग्रेस के प्रधान को लिखा कि अखबारों में जो छपा है उसकी कटिंग वे उनके पास जांच के लिये भेज देते हैं और उसके बाद उचित कारंवाई की जाय। लेकिन सब बातों को देख और समझ कर कांग्रेस के प्रधान ने कोई जांच कराना उचित नहीं समझा। जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं वह १२ जनवरी को हुई और कांग्रेस के अध्यक्ष के पास उस व्यक्ति ने २१ जनवरी १९५६ को इसके बारे में लिखा। कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट ने यह कहा कि किसी खास बात के बारे में यह चीज नहीं है, भेग है और इनडिफिनिट है इसलिये मैंने इसकी जांच कराने की कोई जरूरत नहीं समझी। लेकिन सरकार की तरफ से इसकी पूरी छानबीन हुई है। १२ जनवरी १९५६ को सुलतानगंज के दारोगा को एक मोटर गाड़ी के बारे में संदेह हुआ जो भागलपुर बाजार में घूम रही थी। उसने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन गाड़ी भागलपुर की तरफ रवाना हो गयी। दारोगा ने सुलतानगंज स्टेशन के स्टेशन मास्टर से कहा कि अकबर नगर के रेलवे स्टेशन को इसकी सूचना कर दी जाय कि जो मोटर गाड़ी जा रही है उसको रोका जाय। अकबर नगर के स्टेशन मास्टर ने विलेज डीफेंस पार्टी को मोटर को रोकने के लिये कहा और उनलोगों ने मोटर को रोक लिया और उसके पीछे पुलिस का दारोगा एक ट्रक लेकर वहां पहुंचा। मोटर के ड्राइवर और गाड़ी का सर्च किया।

कार को सर्च किया गया और सर्च करने के बाद जो सर्च लिस्ट दी गयी, वह इस प्रकार से है। चूंकि इस हाउस में भी इसकी चर्चा की गयी है और इसके बारे में अखबार में भी निकला था, इसलिए इस लिस्ट को रख देना वाजिब है। वह इस प्रकार से है :

Makri ek bhar,
Bha 6 bhar,
Kara 10 bhar,
Kapra 5 pairs,
Ek petti,
Bodies 5 piece,
Posak Ityadi.

तो चूंकि इस सर्च में सब-इन्सपेक्टर को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे यह साबित हो कि इस कार के जरिए किसी तरह के क्राइम करने की बात हो। इसलिए सब-इन्सपेक्टर ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया।

एक सदस्य—कार के ओनर का नाम क्या है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं नाम के बारे में यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वह यह है :

I found only two persons in the car who gave out their names as Ram Prakash Gupta son of Balram Gupta of village Puraniganj, P.-S. Monghyr Town and Jagdish Pathak, son of Jago Pathak of Kutulupur Bahadurnagar, P.-S. Monghyr Mufassil. Prayag Das, etc., said that the former was driving the car. I arrested the aforesaid two persons. On asking driver Ram Prasad Gupta he told me that he was taking the car from Monghyr and that there were two other passengers who had got down at Tilakpur. On query from Jagdish Pathak he told that the car belonged to Kishun Chaudhury, son of Raghubansh Chowdhury of Bahadur Nagar.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो सर्च लिस्ट है उसके अनुसार कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे यह पता चले कि इस कार के जरिए कोई क्राइम करने का इरादा हो और लोग क्राइम करने के लिए तैयार थे। कांग्रेस के प्रधान के बारे में कहा गया है कि ड्राइवर ने उन्हें तिलकपुर में उतार दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह भी कहा गया है कि जब प्रधान को उतार दिया गया तो क्यों नहीं पुलिस जांच करने के लिए गयी। मगर मैं कहता हूं कि पुलिस के सामने कोई ऐसा नक्शा नहीं था कि वह जांच करने के लिए जाती और इस मैटर को परसु करती। मगर सब-इन्सपेक्टर ने मुंगेर के एस० पी० को खबर दी और भागलपुर के एस० पी० को भी खबर दी। मुंगेर के एस० पी० ने कहा कि हो सकता है कि दिसम्बर और नवम्बर के महीने में मुंगेर में डकैती हुई हो, लेकिन उस डकैती से और इस कार से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने आज ही इस सम्बन्ध में डी० आई०-जी०, सी० आई० डी० से पूछा था तो उन्होंने कहा है कि इस कार

से मुंगेर की डकैती का कोई सम्बन्ध नहीं है। जब मैंने डी० आई० जी०, सी० आई० डी० से पूछा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका डकैती से कोई सम्बन्ध है तो उन्होंने कहा—

He told me that the car or its occupants could not be connected in any of the dacoity cases of either of Jamalpur or Monghyr in spite of intensive enquiries.

मैं समझता हूं और मेरा ख्याल है कि इस तरह से कांग्रेस के प्रधान व्यक्ति पर शक करना निराधार है। अब रही बात अखबार की। तो इसके बारे में हमको यह कहना है कि जब से प्रजातंत्र कायम हुआ है तब से ये अखबार वाले तरह-तरह की झूठी खबर निकालते रहते हैं। अगर उनकी खबरों पर हम पब्लिक मेन की तराजू पर तौलें तो शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो ईमानदार ठहरेंगे। आप जानते हैं कि उस दिन श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के प्रधान व्यक्ति के बारे में कहा था तो 'सर्च लाइट" अखबार में निकला कि इस बात को एक मिनिस्टर ने कहा था। तो जब इस तरह की बात अखबारों में निकलती है और उसी पर हम किसी कांग्रेस मैन को कसूरवार ठहरावें तो वाजिब नहीं होगा। मैं श्री हरिहर प्रसाद सिंह से और दूसरे दोस्तों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर वे इसके बारे में ठोस प्रमाण दें तो मैं जरूर इस पर कारंवाई करूंगा। लेकिन बिना किसी प्रमाण के उनपर किसी किस्म की कारंवाई करना वाजिब नहीं होगा। मैंने उस कांग्रेस के प्रधान से पूछताछ की थी और उनके लेटर का एक्सट्रैक्ट भी लिया है, उससे पता चलता है कि वे उस दिन आठ बजे शाम को दुमका में थे और यह घटना घटी है सुलतानगंज में। वे दुमका में एक बड़े सरकारी नौकर के यहां खाना खाने गए थे और ८-९ बजे तक वहां रहे।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—किस बड़े नौकर के यहां खाना खा रहे थे?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैंने संकेत किया था, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि वे एस० पी० के यहां खाना खा रहे थे। तो जो बात हमारे सामने है उससे मैं उनको कसूरवार करार नहीं कर सकता हूं। अगर कोई दोस्त इसके बारे में ठोस मैटेरियल्स देंगे तो मैं इसको जरूर परखूं करूंगा।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन मिनिस्टर साहब हमारी बातों को न तो गौर से ही सुन रहे थे और न मेरी स्पीचेज को उन्होंने पढ़ा ही है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं खूब गौर से आपके स्पीचेज को सुन रहा था जो व्यायंटेडली आप कह रहे थे।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मेरा कहना था कि जो खबरें अखबार में निकली, उसका कंट्राडीक्शन होना चाहिए था, लेकिन कंट्राडीक्शन नहीं हुआ। अखबारों में जो झूठी खबरें निकलती हैं तो क्यों न सरकार उसका कंट्राडीक्ट कर देती है, अगर कंट्राडीक्शन हो जाता तो ऐसी बात होती ही नहीं। इसी केस में ड्राइवर का स्टेटमेंट कुछ है और सब-इन्सपेक्टर का कुछ, इस प्रकार से काम नहीं होना चाहिए था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं खूब पसन्द करता अगर सब-इन्सपेक्टर

बातें और प्रधान के बारे में जो उनको गाड़ी से उतारने की शिकायत है, इसकी जांच कर लेते। उनका कहना है कि इस कार में कोई ऐसी चीजें नहीं निकलीं जो क्रिमिनल होने का डर हो और इसीलिये नन-क्रिमिनल केस कह कर उसने इसको परसु नहीं किया।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—तो क्या वे कसूरवार होते हैं या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अगर सब-इन्सपेक्टर कसूरवार होंगे तो मैं इसकी जांच

करूंगा। लेकिन कांग्रेस के प्रधान के बारे में जो आपकी शिकायत है उसके बारे में मेरे पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जिससे मैं उनको कसूरवार ठहराऊं और भी बातें पुलिस के सम्बन्ध में कही गयी हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस बजट पर बहस भी होगी मगर इस मौके पर इस पर कुछ बोलने की लालच को रोक नहीं सकता। बजट १ अरब रुपए का है लेकिन पुलिस के ऊपर नहीं के बराबर है। पुलिस के ऊपर १९४५-४६ में टोटल बजट का १३ प्रतिशत, १९५५-५६ में ६.३६ प्रतिशत था। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस का बजट इनडिकेट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। आज हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पुलिस को इसलिए मेनटेन किया जाता है कि खूबी के साथ वेलफेयर का काम कर सकें। आपके सामने पहले एक बार फिगर्स भी रखा था जिसे मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरे यहां क्राइम्स खत्म हो गये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज में एक भी डकैती होती है, एक भी अत्याचार होता है तो समाज का कोई भी आदमी फख्र के साथ अपना सर ऊंचा नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य मनुष्य है, क्राइम न हो यह असंभव बात है। आप १९५५ के फीगर को देखेंगे तो पायेंगे कि जनवरी १९५५ में डकैती की संख्या १९४ थी और उसी साल दिसम्बर १९५५ में डकैती की संख्या ७७ हो गई। इस तरह डकैती की संख्या में कमी हुई। आप कहते हैं कि आप डकैती की संख्या को घटा देते हैं और जो डकैती होती है उसे चोरी में गणना कर देते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। १९५५ के जनवरी में चोरी की संख्या १,४७७ और दिसम्बर में १,३४७ थी। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि जो डकैती हुई उसकी गिनती चोरी में कर दिया। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। इनसिडेन्ट ऑफ क्राइम पर टेन थाउजेन्ड ऑफ पोपुलेशन दूसरे कंट्रीज में क्या है? यू० एस० ए० में १,३२२, यू० के० १,३४२, फ्रांस १,४८४, जापान १६०५, वेस्ट जर्मनी में २,९९२, इटली में ४०२, टर्की में ४१२, इन्डिया में १६५, और बिहार में १५०। मैं इन आंकड़ों को इसलिए रख रहा हूं कि जब पुलिस के बारे में समालोचना करें तो इन बातों पर ख्याल रखते हुए करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर हरिहर प्रसाद सिंह के भाषण की ओर आता हूं। आपने कहा कि पोलीटिकल सफरर को आपने जो फैसला दिया वह ऐसे लोगों को दिया जो पोलीटिकल सफरर नहीं हैं, कभी भी जेल नहीं गये हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। आपने कपिलदेव राय के बारे में कहा।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि डुमरांव के कपिलदेव राय

कितने दिनों के लिए जेल गये थे?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आपने कहा है कि श्री कपिलदेव राय एक दिन के लिए भी जेल नहीं गये हैं उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। आप यह भी कहें कि जेल गए थे तो मैं समझूंगा कि जिस तरह बजरी कुटते समय औरतें अपने भाई को गाली देकर कांटे चुभाती हैं उसी तरह से आप कह रहे हैं। १९३९-४० में ही किसान एजिटेशन में वे जेल गये थे। (आवाज—किसान आन्दोलन में जेल गए थे।)

उस समय किसान आन्दोलन जारी था और लोग जेल जाते थे। आप भले ही अभी हंसी उड़ा लें पर मैं कहूंगा कि यदि अभी स्वामी सहजानन्द आ जायें तो आप लोग पैर छूने लगेंगे। मैंने उन्हें ही नहीं बल्कि कपिलदेव राय के अलावे भी और दूसरे लोगों को पोलीटिकल सफरर मान कर पोलीटिकल सफरर फंड से रुपया दिया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—किसान आन्दोलन में वे जेल गये थे और उन्हें आपने पोलीटिकल सफरर मान कर रुपया दिया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जी हां, दिया है। १९४० में वे ४ महीने के लिए जेल गए थे। एक दो महीना करके ४ महीने के लिए गए थे।

(आवाज: कितना मिला है?)

कितना मिलने की बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि वे एक दिन के लिए भी जेल नहीं गये थे उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। हुजूर, ये लोग समझते हैं कि इंटरप्शन करने से मैं बैठ जाऊंगा पर ऐसी बात नहीं है। मेरे पास सौलिड फैक्ट्स हैं जो मैं सामने रखूंगा। मैं चुप बैठ जाऊंगा ऐसी बात नहीं है। सिर्फ १९३९-४० में ही वे जेल नहीं गये थे, १९४२ में भी वे ग्राम नरही, डिस्ट्रिक्ट बलिया में नवम्बर में वे अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गये थे। तीन केस उनके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था।

(आवाज: बलिया तो यू० पी० में है।)

यू० पी० भी हिन्दुस्तान में ही है। जब आप बंगाल में मिलने जा रहे हैं तो यू० पी० से क्यों घबड़ाते हैं। तीन मुकदमें चलाए गए, दो मुकदमे डुमरांव थाना के सम्बन्ध में था कि १६ और १७ तारीख को डुमरांव थाना जलाया था, दो मुकदमे का यही आरोप था। तीसरा केस रेलवे लाइन उखाड़ फेंकने का था तो उस वक्त १३ महीने की सजा हुई और रेलवे केस में ६ महीने की सजा हुई। वे बक्सर, आरा और पटने जेल में रहे। वे बक्सर सेन्ट्रल जेल में सौलिटरी कंफाइन्मेंट में थे। हाउस के एक माननीय सदस्य ने भी कहा था कि वे उनके साथ जेल में थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय यह कहना कि कपिलदेव राय जेल नहीं गये थे, गलत है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते थे कि हमारे दोस्त श्री राम नारायण चौधरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जितनी बातें बाहर कहते हैं उसमें कुछ तरक्की करके यहां बोलेंगे, लेकिन यहां भी वे वैसी ही बातें करते हैं और बाहर के जेनरल मास तथा सदन में कोई फर्क नहीं समझते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—यह दलील तो आप बार-बार हमलोगों के बारे में देते हैं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—ऐसी बातें ही आप करते हैं तो हम क्या करें। हमने उनके सामने ही गुणा और भाग किया और वे गुणा भाग समझते भी हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसी बातें करते हैं।

श्री राम नारायण चौधरी—गुना भाग तो मैं समझता हूं, लेकिन आप जो नारदीय ढंग से गुना भाग करते हैं उसे मैं नहीं समझ पाता।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्री सहदेव मिश्र के केस के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके साथ अन्याय किया गया या न्याय। मेरा ख्याल है कि उनके साथ बिल्कुल न्याय किया गया है। उनके सम्बन्ध में जो लास्ट डिसीशन गवर्नमेंट का है उसे मैं पढ़ देता हूं।

श्री राम नारायण चौधरी—फर्स्ट डिसीशन को पहले पढ़ दिया जाय।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—फर्स्ट डिसीशन को समझने के लिए लास्ट डिसीशन पहले पढ़ना जरूरी है। लास्ट डिसीशन इस प्रकार है:—

"It appears that Shri Sahdeo Misir was in jail for a total period of 3 months for which he was given as compensation Rs. 1,450."

Shri Ram Narain Choudhury states that he was very badly treated in jail while he was in prison in 1942. As this was contradicted by another M. L. A. a report was called for.

आपने कहा कि उनको टौरचर किया गया और दूसरे एम० एल० ए० जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर निर्भर किया। आपने पहले फैसले की बात कहीं। यह ठीक है कि अढ़ाई हजार रुपया पहले देने की बात हुई थी लेकिन यह भी ठीक है कि श्री नन्द कुमार सिंह जो प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि अगर इनको अढ़ाई हजार रुपया दिया जायगा और दूसरे को कम दिया जायगा तो इससे हार्ट बर्निंग होगी। किसी भी स्टेज में पब्लिक मैन का यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में उज्र करे इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब का कहना बिल्कुल ठीक था।

श्री राम नारायण चौधरी—तब तो जितना निर्णय कमिटी का हुआ करता है उसके बारे में प्रेसिडेन्ट को कौम्युनिकेट करना चाहिए।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—बात यह है कि कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट सभी केसेज में इंट्रेस्ट लेते हैं और आपका इंट्रेस्ट सिर्फ सहदेव मिश्र में था इसलिए यह लिमिटेड था। हमारे प्रेसिडेंट साहब सब केस में इंट्रेस्ट लेते हैं यह खुशी की बात है। वे कहते हैं कि सरकार गलत काम कर रही है तो सरकार अपना कलम रोक देती है। इसमें किसी को कुछ शिकायत नहीं होना चाहिए।

Shri RAM NARAIN CHOUDHARY: Then I suggest that it would be better that all orders passed by the Political Sufferers' Committee should be sent to the respective Presidents of the District Congress Committee to ratify them and without ratification there should be no distribution.

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हम रेटिफिकेशन के लिए नहीं भेजते हैं लेकिन किसी भी पब्लिक मैन को यह हक है कि हमको राय दे कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए (थपथपी)।

तीसरा केस श्री बिगनेश्वर मिश्र का है। यह ठीक है कि हमारे पास जो कागज है उससे पता चलता है कि श्री बिगनेश्वर मिश्र कई बार जेल गये थे और उनको ३०० रुपया मिला है हालांकि उन्हें ज्यादा रुपया मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जो एम० एल० ए० या एम० पी० हैं उन्हें पौलिटिकल सफरर्स फंड से रिलीफ नहीं दिया जाय। चूंकि वे एम० पी० हैं इसलिए उन्हें नहीं दिया गया तो फिर शिकायत की बात कहां आती है।

एक बात मैं पौलिटिकल एपोआएन्टमेंट के बारे में कहकर बैठ जाता हूं। हमारे दोस्तों ने शिकायत की है कि हरिजनों की बहाली आपके हुक्म के मुताबिक नहीं होती है। मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी तेजी से हरिजनों की बहाली होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं १९५३-५४ का आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं। १९५३ में टोटल नम्बर ऑफ एपोआएन्टमेंट्स इन क्लास फोर २,५२३ और टोटल नम्बर ऑफ शेड्युल्ड कास्ट्स एपोआन्टेड २१८। परसेन्टेज हुआ ८.६। और १९५४ में टोटल नम्बर ४,५३८ और टोटल शेड्युल्ड क्लास एपोएन्टेड ६७४। यानी परसेन्टेज हुआ १४.८। जो प्रगति हुई है उससे मुझे भी संतोष नहीं है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस ओर हमने कदम नहीं उठाया है। इसलिये हमें चिन्ता नहीं है। पौलिटिकल सफरर के बारे में जो कहना था वह कह दिया, अब हाउस का ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं।

अब मैं फाइव-ईयर प्लान और कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में कहकर समाप्त करूंगा। हमारे फस्ट फाइव-ईयर प्लान में जो ५७.२९ करोड़ रुपया का बजट मंजूर हुआ था उसमें से ५७.१० करोड़ रुपया दिसम्बर, १९५५ तक खर्च हुआ। अब जो लोग शिकायत करते हैं कि प्रोभिन्सियल रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कंट्रीब्यूशन मिला उसको हमने खर्च नहीं किया यह कहना गलत है। आपको यह जानना चाहिये कि यह एलोटमेंट ५७.२९ करोड़ का था लेकिन फिर पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिभाइज करके ६७.७९ करोड़ कर दिया। लेकिन यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १९५६ तक सभी रुपये खर्च हो जायेंगे।

श्री तनुक लाल यादव—अध्यक्ष महोदय, रुपये तो खर्च होते ही रहते हैं और ३१ मार्च तक बाकी रुपये खर्च हो ही जायेंगे लेकिन काम कुछ नहीं होता है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जो शिकायतें की गई हैं उनका आरगुमेंट मैं दे रहा हूं लेकिन फिर जो आप आरगुमेंट करते हैं तो आप आरगुमेंट में ठहर नहीं सकते हैं।

यह ठीक है कि आदमी को संतोष नहीं होता है। मगर कोई आदमी काम करता है तो उस काम को जज करने वाला कोई दूसरा ही होता है।

एक सदस्य—इतना रुपया खर्च हो गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आप यह सुनकर परेशान क्यों हो गये कि ५७.१० करोड़ खर्च हो गया?

श्री कृष्ण गोपाल दास—I want actual figures.

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—I gave you actuals. तो मैं कह रहा था कि जो आदमी काम करता है उसको अपने काम का पता नहीं लगता है लेकिन दूसरे को पता लग जाता है। यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे काम को सुनकर आपको खुशी होगी कि फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान में बिहार फर्स्ट हुआ है और बम्बई भी करीब-करीब उतना ही है और सब बहुत पीछे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो कठिनाई है, असल कठिनाई है, वह है टेकनिकल परसोनेल की कमी। न हमारे पास ओवरसियर हैं, न इंजीनियर हैं, न भेटेरिनरी डाक्टर्स हैं और न हमारे पास मेडिकल डाक्टर ही काफी संख्या में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां टेकनिकल परसोनेल की जो कमी है वह एक दिन में दूर नहीं होने को है, किसी मुल्क में एक दिन में इतने टेकनिकल परसोनेल पैदा नहीं किये जा सकते हैं। हम इसके लिये कोशिश कर रहे हैं, रांची में इंजीनियरिंग कालेज हमने खोला, मुजफ्फरपुर में खोला, भेटेरिनरी कालेज के कोर्स को हमने एग्रीज किया है। मकान बनाना पड़ता है, प्रोफेसरों को रखना होता है, शिक्षा दी जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है तब जाकर टेकनिकल हैन्ड्स निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी इस कमी की पूर्त्ति हो जायगी तो जनता में जिस तरह का आज जोश है उससे हमारा सूबा पीछे नहीं रह सकता है। आज हम लोकल वर्क्स का काम करते हैं उसमें जो हमारे पास आंकड़े हैं उसे मैं आपको बता देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने ३ करोड़ रुपया खर्च किया और २.५४ करोड़ पोपुलर कंट्रीब्युशन हुआ, आप भले निन्दा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने रांची और मांडे के कम्युनिटी प्रोजेक्ट को देखा और मैं आपको न्योता दूंगा कि आप वहां जाकर देखें। मैंने लोगों से बातें की और इस सम्बन्ध में तथ्य जानने की कोशिश की। मैं बिहार शरीफ के गांवों को देखने गया था। मैं समझता हूं कि वहां का इकोनोमिक लाइफ में रिवोल्युशन हो गया है। एक दो साल में ७-७ और ८-८ क्रॉप्स खेतों से निकालते हैं। मैं परसों गया अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। वहां भी एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। वहां के ग्राम पंचायत के मुखिया से मैंने पूछा कि क्या चाहिये। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिये। जो काम हो रहा है उसमें हमलोग सहयोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि देश गरीब है और इसकी समस्यायें बहुत अधिक है। सेकेन्ड फाइव-इअर प्लान के आर्डिनरी खर्च के अलावे ४० करोड़ रुपया हम जनहित पर खर्च करेंगे, रीकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करेंगे और इसके अलावे

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज को डेवेलप करने का काम करेगी तो मैं यह कह सकता हूं, यह ठीक है कि रामराज्य अलग बात है लेकिन ५ वर्षों के अन्दर रामराज्य की झलक अवश्य देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे समाज में पीसफुल रिवौल्युशन हो जायगा अगर सेकेन्ड फाइव-इअर प्लान को हम ठीक से एक्जेक्यूट कर सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे ऐसे लोगों के लिए यह सुनहला युग है, एक सुन्दर युग है, हरएक आदमी अपना-अपना पार्ट प्ले करे, बिहार का नक्शा बदल जायगा। आज देश के निर्माण-कार्य के लिये पुनस्संगठन के कार्य के लिए हरएक आदमी को तैयार होना चाहिए।

*श्री शक्ति कुमार—अध्यक्ष महोदय, मैं खास करके दो एक जमात के बारे में कहना चाहता हूं। मैं एक ऐसी जमात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिसकी ओर सरकार का ध्यान उचित रूप से नहीं गया है। सबसे पहले मैं उनकी हालत आपके सामने रखना चाहता हूं जिनकी संख्या मैं समझता हूं ५० प्रतिशत से ज्यादा होगी और वे खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। इनके विषय में हमारे माननीय सदस्यों ने प्रकाश नहीं डाला। सरकार ने भी प्रकाश नहीं डाला। राज्यपाल के भाषण में भी इसका कोई जिक्र नहीं है और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है उसमें भी नहीं है। कोई खास जिक्र उसमें नहीं है। हो सकता है कि मैंने उसे न देखा हो। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जितनी समस्याएं हमारे सामने उनकी हैं उससे ज्यादा समस्या किसी की नहीं है। उनके पास न नौकरी है, न विजनेस है, और न जमीन है। वे गुजारा करते हैं दो सेर मजदूरी पर। अगर मजदूरी मिली तो उन्होंने खाया और नहीं मिली तो नहीं खाया। आज आप अपने सीने पर हाथ रखकर देखें कि हम उनको क्या देते हैं? तो आप पाइयेगा कि कुछ नहीं देते हैं। तो मेरा कहना है कि आज जिनके ऊपर अन्न पैदा करने की इतनी बड़ी समस्या है, जिनके ऊपर सारा दारोमदार है उनके लिए हम क्या करते हैं। तो मैं सदन के सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि आज के युग में जब राजनीतिक अधिकार उनको बराबर मिला हुआ है और उनको राजा चुनने का बराबर अधिकार है तो हम आपके जरिये सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी आज दो-तीन साल पहले खेतिहर मजदूर के लिये आपने कानून बनाया और उस कानून के जरिये आपने जब उनको अधिकार दिया है और वे खेत में काम करते हैं तो उसकी मजदूरी दिलाने के लिए आपने क्या किया है? जो आदमी उनको १ सेर १४ छटांक की मजदूरी नहीं देता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या किया है। अखबारों में हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि दो सेर मजदूरी मांगने के लिए घर से निकाल दिया। बेटी वहू को लाठी से प्रहार किया गया लेकिन सरकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने इन्डस्ट्रीज मजदूरों के मकान के लिए, दवा-दारू के लिए और दूसरे-दूसरे उनके अधिकारों के लिए कानून बनाते जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देते जा रहे हैं, वह इसीलिए कि ये मजदूर बोल सकते हैं, इनके राजनीतिक नेता उनके पास पहुंचते हैं कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन इन मजदूरों को सिवाय १ सेर १४ छटांक मजदूरी देने के और आप उनको क्या देते हैं? आपने एलान किया था कि अंग्रेजी सरकार जायगी तो हम किसानों और मजदूरों का राज कायम करेंगे। अगर आपका यह नारा था तो हम जानना चाहते हैं कि यहां पर बैठे १० साल मुझे हो गये, लेकिन आप क्या यह बता सकते हैं कि उन खेतों में काम करने

वाले मजदूरों के लिए क्या ठोस कदम आपने उठाया है। जिसके पास एक चादर थी उसको आपने रैपर दिया, जिसको एक साड़ी थी उसको दो साड़ी दी, और जिसको एक मोटर है उसको दो मोटर दिया, जिसके पास एक मकान है उसको दो मकान दिया लेकिन इन बेचारों के लिए क्या किया?

कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी आपने कायम किया है लेकिन वह भी जिसके पास जमीन है उसकी जमीन डिभलप करता है, जिसके पास मकान है उसकी नाली ठीक करता है और उनके लिए प्रोग्राम है लाइब्रेरी बनाना, या अन्य विकास का काम करना, लेकिन इन झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों के लिए यह विभाग क्या करता है। हमको एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में जाने का मौका मिला तो हमें दिखलाया गया कि ये नाली निकाली गयी है, ये लाइब्रेरी है आदि, आदि। लेकिन जब हम हरिजनों की बस्ती में गये तो वहां देखा कि उनके मकान के पास से नाली निकाली गयी थी जिससे उन गरीब हरिजनों के मकान भी गिर जा सकते थे तो हमने प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके लिए परसाल नाली निकाली जायगी। मैं तो कहूंगा कि सरकार एक कमीशन बैठावे जो इस बात की जांच करे कि हरिजनों के लिए इन प्रोजेक्टों में क्या काम होता है। आप अमेरिका से करोड़ों रुपया कर्ज लेकर इस काम को करते हैं लेकिन उससे गरीब हलवाहों को क्या फायदा होगा और उसका बोझ उनपर पड़ेगा या नहीं। अगर उनपर बोझ नहीं पड़ेगा तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर उनपर बोझ पड़ेगा तो अच्छा नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्थान उनका होना चाहिए जिनका उत्थान करना जरूरी है। तरक्की उनकी होनी चाहिए जिनकी तरक्की जरूरी है। आप एग्रीकल्चरल लोन देते हैं। सारे बजट में देखा जाय तो लोन ही लोन दिखायी पड़ता है। लेकिन लोन भी उसी को देते हैं जिसको नीजी प्रोपर्टी है। हरिजनों के पास तो नीजी प्रोपर्टी नहीं है। हमने बार-बार कहा है कि सरकार की जितनी परती जमीनें हैं उनको हरिजनों के साथ बन्दोबस्त करना चाहिए लेकिन सरकार बराबर झगड़े की बात बतलाकर उन जमीनों को हरिजनों के साथ बन्दोबस्त नहीं करती है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में खेतिहर मजदूरों की समस्या का हल आपने नहीं किया तो उनकी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठावे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देखेंगे कि गृह युद्ध की अग्नि भड़केगी और उसको आप शान्त नहीं कर सकेंगे। आपने इन्सपेक्टर बहाल किया है लेकिन उसको पावर नहीं है कि वह कुछ फैसला दे सके। वह जाता है और पार्टी को समझाता है और अगर पार्टी उसकी बात नहीं मानती है वह निराश हो जाता है। इसलिए वह बेकार है। उसको अधिकार होना चाहिए कि वह अपने फैसले को कार्यान्वित कर सके। ग्राम पंचायत को यह अधिकार होना चाहिए कि इस तरह के झगड़े का फैसला करा सके। लेकिन जब ग्राम पंचायत के डायरेक्टर को हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को यह काम सौंपने से हमारी समस्या बढ़ जायगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उनकी उन्नति के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसान मजदूर एक क्रांतिकारी कदम उठावेंगे और उसको आप तलवार से रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की ओर से एक कमिटी नियुक्त होनी चाहिए। ठीक से इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने और सरकार को सुझाव देने के लिये कमिटी बनी है। इसमें अधिकांश लोग शासन करनेवाले ही हैं। मजदूर

वर्ग के लोग इसमें नहीं हैं, कुछ लोग हैं, जो घंटी गिनते रहते हैं और उधर कानून पास हो जाता है। जिले-जिले में एक कमिटी बनी थी। लेकिन इससे खेतिहर मजदूरों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

दूसरी बात में हरिजनों के सम्बन्ध में आपको कहना चाहता हूं। बहुत से भाई हरिजनों के मामले में बात सुनकर घबड़ा जाते हैं। हरिजनों का नामकरण हमारे पूज्य नेता गांधी जी ने किया था। संविधान में चर्चा है कि हम उन जातियों को जो पिछड़े हैं उन्नति के लिये सुविधा देना चाहते हैं जब तक कि ये जाति सबलोगों के बराबरी में नहीं आ जाते हैं। अर्थात् १० वर्ष तक हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उन जातियों को १० वर्षों में अपने मुकाबले में लाने के लिये कौन-सा ठोस कदम उठाया गया है। वे कहते हैं कि हम हरिजन छात्रों को पढ़ने में सुविधा देते हैं और आपने दिया भी है इसके लिये हम आपके आभारी हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उन पढ़नेवाले हरिजन छात्रों की संख्या कितनी है सारे प्रांत में। क्या आप यह बता सकते हैं कि वे आपके मुकाबले में आ गये हैं या नहीं तो कम से कम आपके पीछे भी हैं? अगर आ गये हैं तो मैं प्रिभिलेज देने के लिये आपसे नहीं कहूंगा। अगर आपके ख्याल में उनकी आर्थिक समस्या आपके मुकाबले में आ गई है या आपके पीछे है या सामाजिक वातावरण में आपके मुकावले में आ गये हैं तो आपको हमारे लिये विशेष रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। विनोवा जी जैसे त्यागी व्यक्ति ने जब कुछ हरिजनों के लिये मंदिर में प्रवेश किया तो उनपर किस तरह का अमानुषिक वर्ताव किया गया। उनके जैसे महान् व्यक्ति को भी पीटा गया। आपतो कहेंगे कि यह पुरानी बात हो गई है। मैं उदाहरण के लिये यह कहता हूं। अभी भी हरिजनों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता है, यहां तक कि खड़ाऊं और जनेऊ तक नहीं पहनने दिया जाता है। आजकल भी हरिजनों के साथ गांवों में अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हमारे नेता लोग अपने हृदय से भेदभाव को दूर नहीं करेंगे तब तक अफसरों के दिल से यह भाव कैसे मिट सकती है। जिस व्यक्ति को कानून के मुताबिक सजा देना है वे हीं घबड़ा उठते हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमलोगों के साथ न्याय होगा। अस्पृश्यता निवारण के लिये आपने कानून बनाया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कानून का इस्तेमाल होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक रिमाइन्डर आया कि हरिजनों की भलाई वगैरह का काम कितना आगे बढ़ा है मगर उसका जवाब यहां से नहीं दिया गया है। आप तो श्री जगजीवन राम तथा भोला शास्त्री का उदाहरण देंगे लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उनलोगों को और कुछ असेम्बली के सदस्यों के सिवाय ऐसे लोग कितने हैं? आम जनता में जाकर देखें तो अच्छी स्थिति वाले हरिजन आपको बहुत कम अभी भी मिलेंगे। हरिजनों के घर के लिये आज एक परचा बांटा गया है जो आज सभी सदस्यों को मिला है। आपने हरिजनों के मकान के लिये एक कानून बनाया है लेकिन उसके बदले में हम देखते हैं आज गरीब हरिजनों का घर गिरा दिया जाता है, ढाह दिया जाता है, उनकी सम्पत्ति लूट ली जाती है मगर उसे देखनेवाला आज इस राज्य में कोई नहीं मालूम पड़ता है। इन सब बातों के लिये जब हमलोग अफसर के यहाँ जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप मुकदमे की पैरवी करने आये हैं और धमका देकर निकाल देते हैं। इसके लिये मैं आपको दो-चार उदाहरण भी दे सकता हूं अगर आप चाहें। अभी हाल की बात है फतहपियरिया मे कुछ गरीब हरिजन का मकान गिरा दिया गया, ढाह दिया गया और उस पर नाद बना दिया गया है। वे लोग

ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों के यहां अपनी सुनवाई के लिये दौड़ लगाये और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कलक्टर के पास तार दिया गया तब एक अफसर वहां जांच में गये और लिखे कि उस जमीन पर किसी का घर नहीं था। तब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे लोग क्या रिफ्यूजी हैं, या उस गांव के रहनेवाले नहीं हैं, बिहार के किसी हिस्से में रहते थे? आखिर उनका भी तो कहीं पर होगा ही। जब इस तरह की रिपोर्ट सरकारी अफसर देते हैं तब हम कैसे उम्मीद करें कि हमलोगों की उनसे भलाई होगी।

अब मैं हरिजनों के बीच जमीन वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। गोड़इती जागीर के लिये आपका कानून बना है। लेकिन लोगों की जागीर छीनी जा रही है। उसपर मुकदमा चलाया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक आदेश निकाला गया है इसके लिये मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं। इस आदेश के अनुसार हरिजन, आदिवासी तथा दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन दी जायगी। इस आदेश के निकले ५ साल हो गये लेकिन आजतक इस आदेश का कहां तक पालन किया गया है इसके लिये आप क्या कोई आंकड़ा पेश कर सकते हैं? दूसरे राज्यों में हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों में जमीन बांटने के लिये एक कमीशन बनी है। उस कमीशन की रिपोर्ट से मालूम होता है कि हैदराबाद में १ लाख, ७५ हजार एकड़ जमीन, यू० पी० में १० हजार, ५१ एकड़ जमीन, एक साल में बन्दोबस्त की गयी है। इस तरह से पेप्सू और दूसरी जगहों में भी १० हजार, १५ हजार और २ लाख एकड़ जमीन तक बन्दोबस्त किया गया है। बंगाल में १७ हजार एकड़ जमीन एक साल में इन लोगों के साथ बन्दोबस्त की गयी है, इसमें हरिजन तथा दूसरे लोग भी हैं। बिहार में कितनी जमीन बन्दोबस्त की गयी है इसकी रिपोर्ट कमीशन को नहीं दी गयी है।

(इस समय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

चूंकि यह बैकवर्ड क्लासेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इसलिए उसकी रिपोर्ट के ऊपर बाजाबता एसेम्बली में डिस्कशन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष—उस रिपोर्ट के डिस्कशन के लिए बाजाबता एक दिन मांगा जा सकता है और डिस्कशन हो सकता है, लेकिन केवल एक माननीय सदस्य वाद-विवाद करें यह नहीं हो सकता।

श्री शक्ति कुमार—हुजूर का यह निर्णय हो गया कि इस बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए एक दिन दिया जाय तो हमको कुछ नहीं कहना है। अब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार हरिजनों को २५ प्रतिशत जगह देने की बात है। यह कहा जा सकता है कि नौकरियों में हमको बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है। हुजूर, दूसरे स्टेट के बारे में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन में जगलाल चौधरी जी और अन्सारी साहब रखे गए थे इन सब बातों को देखने के लिए और उसके अनुसार उस दूसरे स्टेट में अगर हरिजन मिले तो डायरेक्टर और अंडर-सेक्रेटरी डायरेक्ट बहाल कर लिए गए। अगर सब डिप्टी मजिस्ट्रेट है तो उसको सब डिवीजन का चार्ज दिया गया। अगर एस० डी० ओ० है तो उसको अंडर-सेक्रेटरी बनाया गया। उनको मौका दिया गया कि अपनी एफीस्यंसी दिखलावें। उनको काम करने का मौका दिया गया। अगर

इस व्यक्ति का मैं यहां नाम लूं तो सरकार कहेगी कि उसको डिगरेड करेंगे। एक ऐसा आदमी है जो हरिजन हैं और जिन्होंने अस्थाई रूप से एस० डी० ओ० के पद पर काम किया है और नीचे से उसके प्रोमोशन के लिए लिख कर आता है लेकिन यहां हमारे चीफ सेक्रेटरी या ऊपर के लोग तरक्की नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि ६-६ महीना एस० डी० ओ० के पद पर जो काम करेगा उसका प्रोमोशन कैसे आप रोक देंगे कि वह योग्य नहीं है और फिर एक चपरासी के लिए आप कहते हैं कि वह पगड़ी नहीं ठीक से बांध पाता। यही तो योग्यता की माप है। आज श्री भोला शास्त्री और बाबू जगजीवन राम को काम करने का मौका मिला तो उन्होंने काम करके दिखला दिया। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी मिनिस्टर से बाबू जगजीवन राम का काम कहीं सराहनीय है। हम यह कह सकते हैं कि भोला शास्त्री का काम किसी से नीचे दर्जा का नहीं है।

उपाध्यक्ष—किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री शक्ति कुमार—मैं श्री भोला शास्त्री का एक एक्जाम्पुल देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जिनको आपने मौका दिया काम करके उन्होंने अपनी योग्यता दिखलायी। यह हुजूर, शिकायत की बात नहीं होगी मेरे लिए कहना कि मैं ७, ८ क्लास तक स्कूल में पढ़ सका। मेरे मां-बाप धनी नहीं थे कि कॉलेज और स्कूल में मेरी शिक्षा, ज्यादा दिन तक चलती या बड़े-बड़े लोगों के लड़कों के साथ बैठाकर मुझे पढ़ाते। तो एक तरफ तो आप रूलिंग क्लास बना रहे हैं और दूसरी तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, यह कैसे हो सकता है? हमारे लड़के सेंट जेव्हीयर में पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हमारे भाई के लड़के गांव के बेसिक स्कूल में पढ़ेंगे। ये कैसे आई० ए० एस० में कम्पीट कर सकेंगे? एक आदमी का लड़का नेतरहाट के पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा और दूसरे का लड़का गांव के स्कूल में पढ़ेगा। यह गांव का पढ़ा हुआ लड़का उसके साथ कैसे कम्पीट कर सकेगा? तो आज जो अफसर हैं उनके लड़के अफसर होंगे और हलवाहे घर का मैं हूं तो मेरा लड़का हलवाहा बनेगा। हलवाहा बनना कोई पाप नहीं है लेकिन उनकी जो दुर्दशा आज है और ऐसी अगर हालत उनकी रही तो मैं कहता हूं कि हल जोतना कोई पसंद नहीं करेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे देश में गए थे तो उन्होंने यहां आकर कहा कि उन्होंने देखा कि किसान और मजदूरों की औरतें तरकारी बना रही थीं और खाना पक रहा था लेकिन यह नहीं पता चलता था कि कौन किसान घर की हैं और कौन मजदूर घर की। यहां के लोगों का कितना ऊंचा और कितना नीचा स्तर है? किसी के पास सैकड़ों बीघा जमीन है तो किसी के पास एक दम नहीं है। जो उपजाता है गेहूं उसको मजदूरी मिलती है, खेसारी, वह भी आधी सड़ी गली। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। सिर्फ यही कहेंगे कि जबतक सर्विसेज में हरिजन लोगों का परसेंटेज पूरा नहीं हो जाय तब तक दूसरों की बहाली एकदम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो हुजूर कहा है कि जहां पर इंजीनियर नहीं मिले वहां हरिजन या बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को स्टायपेंड देकर इंजीनियरिंग पढ़ाकर इंजीनियर बनाना चाहिए। हम अपने से कैसे इंजीनियर बनेंगे, टेकनिकल काम हम कैसे सीखेंगे? हमारे पास पैसा कहां इसके लिए है? ऐडवर्टिजमेंट निकालते हैं आप टाइपिस्ट की और कहते हैं ४० वर्ड स्पीड चाहिए और दो वर्ष का अनुभव। हमने कभी टाइपिंग सीखा ही नहीं स्पीड कहां से हो या बढ़े?

सजेशन के रूप में हम यही कहेंगे कि अभी जो हरिजन विद्यार्थियों को या आदिवासी विद्यार्थियों को या दूसरे पिछड़े लोगों को स्टाइपेंड देते हैं वह काफी नहीं है। बहुत से विद्यार्थी कॉलेज में स्कालरशिप नहीं पा सकते हैं। दूसरी बात गृह निर्माण के लिए जो रुपया आपने रखा है वह बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो मकान बनते हैं वे ऐसे हैं कि एक भादो में बने तो दूसरे में साफ। लोन जो हरिजन को देंगे उसके लिए आपने सिक्यूरिटी मनी रखा है। हरिजन सिक्यूरिटी कहां से देगा? और जिस दिन से लोन वह लेगा रोजगार करने के लिए उस पर सूद लदता जायगा चाहे रोजगार चले या नहीं और जो मुनाफा होगा उससे ज्यादा तो सूद ही हो जायगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि हरिजनों की आर्थिक समस्या को हल करना चाहिये और एक बहुत बड़े पैमाने पर हरिजनों के लिये इंडस्ट्रीज़ सरकार की तरफ से खोलना चाहिये जिसमें काम करने के लिये हरिजनों को ज्यादा मौका मिले। इसमें सरकार का दो-चार लाख रुपया खर्च होगा लेकिन हरिजनों को नौकरी मिल जायगी।

इसके बाद हरिजनों के छात्रावास के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके लिये अलग छात्रावास नहीं बनना चाहिये। आम छात्रावास में ही उनको भी रखना चाहिये। अगर ऐसा न हो सके तब उनके लिए हरएक जिले में एक छात्रावास का होना जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसका जरूर इंतजाम करेगी।

इसके बाद मैं जमीन के वितरण के बारे में कहना चाहता हूं। बन्दोबस्ती करने के लिये जितनी जमीन हो उसको हरिजनों के साथ बन्दोबस्ती होनी चाहिये। इसके लिये एक कमिटी बननी चाहिये जो हरिजनों तथा दूसरे बेजमीनवालों के हाथ जमीन की बन्दोबस्ती करे।

इसके बाद दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें एक करोड़ रुपया हरिजनों के कल्याण के लिये रखा गया है। यहां पर हरिजनों की संख्या करीब ५० लाख से कम नहीं होगी। ७५ लाख तक उनकी जनसंख्या हो सकती है। हिसाब करने से अगर ५० लाख जनसंख्या है तो प्रत्येक हरिजन पर आप दो रुपया खर्च करना चाहते हैं। क्या इससे उनका उत्थान हो सकता है? हमारे सरदार हरिहर सिंह ने कहा था कि उनकी काफी तरक्की हो गयी है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक साल में सिर्फ दो रुपया खर्च करने से उनका उत्थान हो जा सकता है।

इसके बाद मैं कल्याण मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। वे अपने भी एक हरिजन हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं और ज़ोरों से यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लासेज के लिये उनके दिल में जो बेचैनी होनी चाहिये थी वह नहीं है। अभी तक हरिजनों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह भी नहीं मिली है और न वे हरिजनों के जान माल की रक्षा ही कर सके हैं। हरिजनों के उत्थान की जिम्मेवारी उन्हीं पर है और इस काम के लिये उनके दिल में बेचैनी होनी चाहिये। दूसरे स्टेटों के मुकाबले में हरिजनों के कल्याण के काम कुछ कम हुए हैं फिर भी जो हालत है उसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष—समय समाप्त हो गया। आप अब समाप्त कीजिये।

श्री शक्ति कुमार—अब मैं सरकार को धन्यवाद देकर और कुछ सुझाव देकर बैठ जाना चाहता हूं। दूसरे स्टेट के मुकाबले में कुछ कम काम नहीं हुआ लेकिन बहुत मामले में बहुत काम नहीं हुआ है। उनको और स्कालरशिप देने की जरूरत है। पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन पर और रुपये खर्च करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और जो सुझाव सरकार के सामने पेश किया है मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर ध्यान देगी।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—उपाध्यक्ष महोदय,.................।

उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे बहुत ही कम समय लेने की कृपा करेंगे।

श्री रमेश झा—उपाध्यक्ष महोदय, १० बजे दिन से ही रूलिंग पार्टी को बोलने के लिये समय दिया गया है। हमलोगों को बोलने के लिये अवसर देने के लिये अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर विरोधी दल के लोगों को बोलने के लिये अभी तक मौका न दिया गया है। ऐसी बात हाउस की मर्यादा तथा चेयर की मर्यादा के लिये उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। जिन शब्दों का व्यवहार श्री रमेश झा ने किया है वह उचित नहीं है। चेयर की मर्यादा के लिये ऐसी बात ठीक नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था कि उनकी पार्टी को कम समय मिल रहा है।

*श्री मुंद्रिका सिंह—हमलोगों ने केवल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कहा है। अभी तक रूलिंग पार्टी को ही बोलने के लिये अवसर दिया गया है। यह सत्य बात है और उसी को वे कह रहे हैं। अगर आप कहिये तो वे असत्य बोलें। क्या सत्य बोलना गुनाह है?

उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। श्री शत्रुघ्न बेसरा अपना भाषण शुरू करें।

*श्री शत्रुघ्न बेसरा—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फायनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है उसमें ज्यादा आंकड़े दूसरे पंचवर्षीय योजना के ही मालूम पड़ते हैं। हमारे जानते प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार जितना काम होना चाहिये था उतना काम नहीं हुआ है और वे अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमलोग तो एक लेमेन हैं और एक लेमैन की तरह ही इसको देखते हैं। इरीगेशन के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत जोर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं १९५४-५५, १९५५-५६ के बजट को देखता हूं तो यह पता नहीं चलता है कि संथाल परगना और छोटानागपुर में जो सुखाड़ पड़ी थी उसमें सरकार ने कितनी रकम रिलीफ पर वहां की जनता के हित के लिए व्यय की थी। हमारे कहने का मतलब यह है कि इस भाषण के जरिये सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की है कि पंचवर्षीय योजना में बहुत काम हुआ है। लेकिन सच तो यह है

कि वह पंचवर्षीय योजना बेकार चला गया है और उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। इसके बाद सेकेंड फाइव-इअर प्लैन में भी वही बात नजर आती है। हम सरकार से यह कह देना चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की गरीबी तबतक दूर नहीं होगी जबतक जमीन पर प्रेशर पड़ता रहेगा। सेकेंड फाइव-इयर प्लैन को देखा जाय जो आंकड़ा इसमें रखा गया है उससे पता चलता है कि सरकार का ध्यान जमीन के प्रेशर को हटाने की ओर नहीं गया है। ऐसे तो बहुत रुपया रखा गया है लेकिन जमीन के प्रेशर को कम करने के लिए उसमें और मदों की अपेक्षा ज्यादा रखना चाहिये था। इसके अलावे हमें यह कहना है कि २०४ करोड़ केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है। सरकार की यह नीति रही है कि देहातों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाय। लेकिन इस बजट में विलेज उत्थान के लिए, कोपरेटिव की उन्नति के लिए सिर्फ ४ करोड़ रुपया रखा गया है और इंडस्ट्रीज पर १३ करोड़ है। इसलिए हम सरकार से दर्खास्त करते हैं कि कोपरेटिव की मद में बहुत कम रुपया रखा गया है इससे हिन्दुस्तान की गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री ने लैंड एक्वीजीशन विभाग की बड़ी तारीफ की है। लेकिन हमको यह समझ में नहीं आता है कि सचमुच इस विभाग ने काबिले तारीफ काम किया है। मैथन दाम योजना को लागू करने में जो जमीन ऐक्वायर की गयी थी उस वक्त यह कहा गया था कि वहां के लोगों के रहाइश के लिए जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर दे दिया जायगा। पहले तो यह कहा जाता था कि डी० वी० सी० इस काम को करने के लिए जिम्मेवार है। लेकिन जब से सरकार ने इस सवाल को अपने हाथ में ले लिया है तब से और आज तक वहां की जनता को राहत देने की बात सरकार ने नहीं पूरा किया। जामतारा में १९५५ मार्च में लोगों ने एक बड़ा आन्दोलन किया और जब सरकार ने आश्वासन दिया कि उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए जल्द कोशिश की जायगी तब आन्दोलन बन्द कर दिया गया। गवर्नमेंट की ओर से डिपुटी कमिश्नर ने मार्च में कहा था कि घर और जमीन दिया जायगा। अक्तूबर में जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें भी यही तय पाया था कि उनलोगों को जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर मिलेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वे लोग झोपड़ों में ही रहते हैं। २-४ महीने के बाद बरसात आने वाला है और अभी तक जमीन ऐक्वायर नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि लैंड ऐक्वीजीशन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत तारीफ भी की है। देखने में तो यही आता है कि थोड़ी सी जमीन भी अभी तक उनके डिपार्टमेंट ने ऐक्वायर नहीं किया जिसके फलस्वरूप उस इलाके के लोगों को झोपड़े में रहना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार का ध्यान ग्राम पंचायत की तरफ ले जाना चाहता हूं। जनता के हित के लिए गणतंत्र के स्थापना हुई है। खास कर ग्राम पंचायत ऐसी संस्था है कि जिसमें ग्रामीण लोगों की सुविधा प्राप्त हो और उनके उन्नति के लिए उसमें काफी गुंजाइश रहे। ग्राम पंचायत का जब एलेक्शन होता है तो एलेक्शन के लिए अच्छे-अच्छे लोग, जिनको जनता चाहती है वे खड़े होते हैं। हालत ऐसी है कि जिनको सरकार नहीं चाहती है उनका नौमिनेशन पेपर फाइल नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश करती है। अगर २-३ कैंडिडेट रहते हैं तो सरकारी या इनके ही आदमी के हस्बख्वाह में लकीर खींच कर उनको जिता दिया जाता है। जो वोट दूसरे दूसरे कैंडिडेट का भी रहता है वह वास्तव में उनको नहीं मिलता है। १३ फरवरी को हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था। ३ कैंडिडेट थे। एक के करीब ४॥ सौ वोटर थे और दूसरे के करीब १॥ सौ वोटर थे। लेकिन जब वोट हो गया तो देखा गया के जिनके १॥ सौ लोग ही वोट देने वाले आये थे वे ही जीत गये। बाद को उनको पता चला कि उनके यहां

प्रिजाईडिंग ऑफिसर आते-जाते हैं, उनके लिए ट्रक वगैरह का इन्तज़ाम भी किया गया था। जब दूसरे कैंडिडेट ने इस बात का ओब्जेक्शन किया तो उसका कोई ख्याल नहीं किया गया। अगर इस तरह का एलेक्शन ग्राम पंचायतों में होता रहेगा तो इससे ग्रामीण लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा कहना है कि ग्राम पंचायत ऐक्ट के मुताबिक काम होना चाहिये। उसकी धारा ८ के अनुसार साल में २ बार ग्राम पंचायत की सभा बुलानी चाहिये। उसका क्या-क्या काम होगा और बजट पर सभा का अनुमोदन लिया जाय इसका पूरा ख्याल रहना चाहिये। हमारा यह कहना है कि ऐसी एक भी ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें धारा ८ के अनुसार काम किया जाता हो। इसके अलावे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कर्मचारी लोगों के कारण ऐसे लोग मुखिया बहाल हो जाते हैं जिनका होना गैरमुमकिन है। चूंकि उनको जनता नहीं चाहती है।

आम जनता के सामने खड़े होकर हिसाब-किताब दें। ये बजट का सच्चा विवरण दे सकें इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, यह बड़ी ही दुख की बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहेब को बता देना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कहा है कि पंचायत के जरिए सब काम हो तो अच्छा है इसे मैं भी अच्छा मानता हूं लेकिन आपको मालूम है कि जितने डिवलपमेंट के काम पंचायत को दिए जाते हैं उन खर्चों का वे कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। वे इसे प्राइवेट कन्ट्रैक्टरों के हिसाब से काम करते हैं। ग्राम पंचायत ऐक्ट में है कि एक्जिक्युटिव डिवलपमेंट का काम करेगा, अगर एक्जिक्युटिव नहीं करेगा तो ग्राम सेवक काम करेगा लेकिन हमारे सबडिवीजन में यानी संथाल परगना में ही नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की पंचायत नहीं है जिनका सरकार से नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं भी आपके विचार से सहमत हूं कि डिवलपमेंट का काम पंचायत के जरिए हो लेकिन ग्राम पंचायत के पास इसका एकाउन्ट बुक रहना चाहिए, ऐसा ही आपके कानून में भी है। पंचायत के जरिए जितने काम होते हैं वे सब प्राइवेट कन्ट्रैक्टर के हिसाब से होते हैं, उसमें जो इनकम होता है वह चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो उनका हो जाता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है।

सरकार ५०० रुपया कुआं बनाने के लिए देती है तो उसमें ४०० रुपये में ही कुआं तैयार हो जाता है और जो १०० रुपये बचे वह मुखिया का या सरपंच का हो जाता है। सरकार ५० प्रतिशत खर्च डेवलपमेंट का देती है लेकिन कुल रुपया तो खर्च होना दूर रहे जो सरकार देती है वह भी नहीं खर्च हो पाता है, उसमें से भी बच जाता है। उन लोगों का कहना भी यही है कि हमलोगों को तो तनख्वाह भी नहीं है। जब कभी कोई अफसर जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट का काम दे दें उसी से अपना काम कर लेंगे।

उपाध्यक्ष—संक्षेप करें, समय कम है।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—आपके भाषण में यह कहा गया है कि डेवलपमेंट के काम के

लिए ऐसे इलाके में जहां के लोग आदिवासी हैं, हरिजन हैं वहां ५० प्रतिशत लोगों से लेने की बात है वह भी सरकार ही दे देगी लेकिन ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं है। मैं जानता था कि जहां आदिवासी का गांव है या हरिजन का गांव है वहां के बारे में सरकार ऐसा ही कहेगी कि उनलोगों से डेवलपमेंट के काम के लिए कुछ नहीं लिया जायगा लेकिन मैं अपने सबडिवीजन की बात कहता हूं कि एक भी कुआं आदिवासी के लिए नहीं खुदवाया गया है। हमारा सबडिवीजन इस मामले में सबसे पीछे है। मैंने

अफसर से जाकर पूछा था कि क्या बात है कि हमारे सबडिवीजन में एक भी कुआं नहीं बना तो उन्होंने कहा कि रुपया तो है लेकिन सैंक्शन बहुत लेट करके आया इसलिए अभी काम नहीं हो सका। आपके लोगों का इस तरह का काम है वे केवल सभी को अपने भाषण से आकृष्ट करने के लिए काफी हैं। आज सरकार की यह हालत है कि लेट करके इसी तरह सैंक्शन दिया करती है जिससे लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि सैंक्शन पीछे आया और इस तरह रुपया लैप्स कर जाता है। आप कहेंगे कि ५० प्रतिशत गरीबों से, आदिवासी से और हरिजनों से नहीं लेते हैं, यह बात तो ठीक है लेकिन जब काम ही नहीं हुआ तो लेने या न लेने से क्या हुआ?

अब मैं एडुकेशन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। गत वर्ष शिक्षा मंत्री ने बताया था कि छोटानागपुर में, संताल परगना में जितना स्कूल खुलना चाहिए उससे ज्यादा खुल गया है। उन्होंने बताया था कि छोटानागपुर में १,४०० पोपुलेशन पर एक एल० पी० स्कूल खोला गया है। छोटानागपुर को छोड़ कर दूसरे इलाकों में १,६०० पोपुलेशन पर एक स्कूल खोला गया है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटानागपुर इलाके में १,४०० पोपुलेशन पर ही एक एल० पी० स्कूल है और दूसरे इलाकों में १,६०० पोपुलेशन पर एक एल० पी० स्कूल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यह तो बिल्कुल धोखे की टट्टी है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा। और जगहों में एक स्क्वायर माइल में १,४०० आदमी बसते हैं और छोटानागपुर के इलाके में एक स्क्वायर माइल में ३००-४०० आदमी बसते हैं। इस तरह आप यदि हिसाब लगा कर देखेंगे तो मालूम होगा कि यहां के लोगों के लिए एक स्क्वायर माइल में एक स्कूल है और छोटानागपुर के इलाके में ३-४ स्क्वायर माइल में एक स्कूल है। आपके जिलों में आपके लड़कों को पढ़ने के लिए आधा माइल जाना पड़ेगा तो हमलोगों के इलाके में हमारे लड़कों को ३ माइल, ४ माइल चलना पड़ेगा जहां के लोग पहाड़ी हैं। इस तरह आप हिसाब लगा कर बता दें कि यह आपकी क्या व्यवस्था है? इस तरह करके आप हमलोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

मुझे यह सुन कर भी आश्चर्य हुआ है कि रेन्ट में प्रति रुपया एक आना वृद्धि की गयी है। इससे भी ज्यादा आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां जो सजा पाये हुए टीचर भेजे जाते हैं वे वहां से अपने घर आने के लिए, घर से वहां जाने के के लिए हर घर से रुपये वसूल करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुंडई ग्राम में जहां ज्यादातर सेवताल ही रहते हैं, वहां लड़कों के पढ़ाने के लिए छपरा के मास्टर रखे गये हैं। वे घर पीछे एक सेर चावल वसूला करते हैं और वसूल कर घर ले जाते हैं। एक बार मैंने हिसाब लगाया उनको १ मन ५ सेर चावल प्रति महीने मिलता है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

आप रुपये में १ आना लेने की बात कहते हैं लेकिन हमारे यहां तो ४ आना, ८ आना और १२ आना तक वसूल किया जा रहा है, यही आपकी व्यवस्था है। इस इलाके के लोगों को कब सरकार मनुष्य बनायगी यह कहना मुश्किल है।

स्पेशल स्कूल जो खोले गये हैं वह कैसे हैं, हमको पता नहीं है। हम देखते हैं कि जहां स्पेशल स्कूल है वहां संथाली की पढ़ाई नहीं होती है और कहीं होती भी है तो ऐसी होती है कि इंसपेक्शन में एक रोज इंसपेक्टर साहब गये तो एक संथाली लड़के से उन्होंने पूछा कि "आमान चित नतुम"। लड़के घबड़ाने लगे कि इंसपेक्टर साहब अपना नाम पूछते हैं या हमारा पूछते हैं। ऐसी बात वहां होती है कि जो संथाली में १०० तक गिनती भी नहीं जानते हैं उन्हें इंसपेक्टर बना कर हमारे एरिया में रखे हुए हैं।

आदिवासी की भाषा के लिए संथाल इंसपेक्टर होना चाहिए। जो संथाली भाषा जानने वाले थे उन्हें न मालूम आपने कहां भेज दिया। मुंडरा भाषा जो लड़के जानते हैं उस भाषा के लिए वैसा ही टीचर होना चाहिए केवल स्पेशल स्कूल से काम होने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जहां लोग स्कूल बनाना चाहते हैं वहां स्कूल नहीं खोल कर दूसरी जगह स्कूल खोल दिया जाता है। हम जानते हैं कि एक जगह जहां लोग नहीं चाहते हैं वहां स्कूल खोल दिया गया और एक मास्टर भी रख दिए गये हैं जो चम्पारण जिले के हैं। वे एक गाछ के नीचे पांच लड़कों को लेकर पढ़ाते हैं। इस तरह की बातें वहां चल रही हैं, इससे पता चलता है कि आप ठीक से नहीं चाहते हैं कि जहां जरूरत है और लोग चाहते हैं वहां स्कूल खोला जाय। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आप कहते हैं कि उसका काम पूरा नहीं हो सकेगा अगर लैंड सेस और मल्टी-पोआएन्ट्स सेस टैक्स लोग नहीं देंगे। आप लोगों में इनसेन्टिव नहीं देते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। अगर उनसे मदद लेना है तो उनके लिए जो छोटी-छोटी मांग है उसे पूरा करना चाहिए।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में घोषणा।

ANNOUNCEMENT REGARDING RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। कार्य-मंत्रणा समिति की एक आवश्यक बैठक हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों को बांट दी गई है। मैं उसे फिर पढ़ देता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि कार्यक्रम का रूप क्या है। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

तिथि २९ फरवरी १९५६ को—

(१) ८-३० बजे पूर्वाह्न से ९ बजे पूर्वाह्न तक १९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद का सरकार द्वारा उत्तर ;

(२) ९ बजे पूर्वाह्न से ११ बजे पूर्वाह्न तक १९५६-५७ के अनुदानों की मांग (एडुकेशन ग्रूप नं० १) पर मतदान ;

(३) ११ बजे पूर्वाह्न से १२ बजे पूर्वाह्न तक प्रश्नोत्तर ;

(४) १२ बजे पूर्वाह्न से १ बजे अपराह्न तक और २ बजे से ५ बजे अपराह्न तक १९५६-५७ के अनुदानों की मांग (ग्रूप नं० १) पर मतदान और उसकी समाप्ति।

एक दिन यानी कल जो आपका ले लिया गया है इसीलिए दोनों दिन का काम कल ही समाप्त करना है और उसके बाद ५ बजे गिलोटीन हो जायगी।

श्री रमेश झा—हम इसका घोर विरोध करते हैं। यह सिलसिला हाउस के लिए बहुत ही नागवार हो रहा है। एक दिन हो तो खैर एक बात है, लेकिन कभी ९ बजे, कभी ८-३० और फिर ६ बजे शाम से बैठक की जाती है तो यह रोज का सिलसिला बिल्कुल ठीक नहीं है।

अध्यक्ष—कल के बाद से सब ठीक हो जायगा। ज्यादा सभा के बैठने की जरूरत नहीं होगी।